

**राजस्थान सरकार**  
**विधि एवं विधिक कार्य विभाग**

क्रमांक प.22(5)न्याय / 2016

जयपुर दिनांक 12.12.17

**::आज्ञा::**

राजस्थान विधि सेवा संवर्ग के निम्नांकित कार्मिक को उनके प्रार्थना पत्र के क्रम में उनके नाम के सम्मुख अंकित प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित होने की अनुमति नियमानुसार निम्नलिखित शर्तों के साथ एतद्वारा प्रदान की जाती है:-

क्र. सं.	नाम (सर्व श्री/सुश्री/श्रीमती/डॉ.)	विभाग का नाम	परीक्षा जिसकी अनुमति चाही है
1.	दिशा फौजदार कनिष्ठ विधि अधिकारी	वित्त (कर) विभाग शासन सचिवालय, जयपुर	विधि व्याख्याता परीक्षा-2014 के साक्षात्कार हेतु।
2.	मनोज कुमार कनिष्ठ विधि अधिकारी	खनि अभियंता (याचिकाएं), खान एवं भूविज्ञान विभाग, जयपुर	राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा आयोजित सिविल न्यायाधीश परीक्षा 2017-18 (आर.जे. एस.)
3.	कमलेश शर्मा कनिष्ठ विधि अधिकारी	राजकीय अधिवक्ता, जोधपुर	राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा आयोजित सिविल न्यायाधीश परीक्षा 2017
4.	जगमोहन मित्रुका कनिष्ठ विधि अधिकारी	जिला कलक्टर कार्यालय हनुमानगढ़	राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा आयोजित सिविल न्यायाधीश परीक्षा 2017-18 (आर.जे. एस.)
5.	सोनिया पूर्वा कनिष्ठ विधि अधिकारी	अधीक्षण खनि अभियंता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, वृत्त बीकानेर	जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर द्वारा आयोजित असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा
6.	रोशन कुमार कोटिया कनिष्ठ विधि अधिकारी	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा आयोजित सिविल न्यायाधीश परीक्षा 2017-18 (आर.जे. एस.)
7.	संदीप सौंठवाल कनिष्ठ विधि अधिकारी	राजकीय अधिवक्ता, कार्यालय जयपुर	राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा आयोजित सिविल न्यायाधीश परीक्षा 2017-18 (आर.जे. एस.)
8.	अमित चौधरी कनिष्ठ विधि अधिकारी	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा आयोजित सिविल न्यायाधीश परीक्षा 2017-18 (आर.जे. एस.)

**शर्त:-**

1. परीक्षा की तैयारी हेतु किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृति नहीं किया जायेगा।
2. परीक्षा दिवस के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।
3. उपरोक्त सभी कार्मिक वर्तमान में इस विभाग के अधीनस्थ कनिष्ठ विधि अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं तथा इनका चयन उक्त परीक्षा में होने पर इस विभाग को कोई आपत्ति नहीं होगी।

-इं.-  
(डॉ. कैलाश चन्द्र अटवासिया)  
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संबंधित कर्मचारी/अधिकारी।
2. प्रोग्रामर, विधि एवं विधिक कार्य विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
3. संबंधित विभाग/रक्षित पत्रावली।

  
12.12.17  
संयुक्त शासन सचिव